सत्यमेव जयते

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
राजस्थान, जयपुर

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

नागरिक चार्टर

<u>दृष्टिकोण</u>

सीएजी का दृष्टिक्षेत्र यह दर्शाता है कि हम क्या बनने की आकांशा रखते हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण में वैश्विक अधिनायक और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तम पध्दति के दीक्षक बनने और स्वतंत्र, विश्वसनीय, लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित एवं समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।

मिशन

हमारा मिशन हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत एवं वर्णित करता है कि हम आज क्या कर रहे है। भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित, उच्च गुणवत्ता लेखा परीक्षण और लेखांकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को उन्नत करते हैं और अपने हितधारकों, विधानमण्डल - कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षता से और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा हैं।

1. **<u>सीएजी की वेबसाइट पर सीएजी का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखना</u>**

क्रम.स.	**हमारी सेवाएं**	**हम अपने कार्य निष्पादन का कैसे आंकलन करते हैं**	**हमारी समयसीमा**
1.	सीएजी की वेबसाइट के माध्यम से सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट का प्रसार	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की तारीख से लेकर उक्त को सीएजी की वेबसाइट पर अपलोड करने की तारीख तक लिया गया औसत समय	राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने की तारीख से 02 कार्य दिवसों में

2. **शिकायत**

   हमारे पास निम्नलिखित तंत्र हैः

   (ए) पेंशनरों की शिकायत का निवारणः

   शिकायत निवारण प्रकोष्ठ इस कार्यालय में पेंशन और पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों के अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए काम कर रहा है जो कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) राजस्थान, जयपुर, कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), अहमदाबाद शाखा-जयपुर, से सेवानिवृत्त हुए है । वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन) नोडल अधिकारी है।

   यदि आवेदक को प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या वह प्राप्त प्रतिक्रिया से संतुष्ट नही है तो वह नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकता/सकती है या agaurajasthan1@cag.gov.in अथवा agaurajasthan2 @cag.gov.in पर ई-मेल भेज सकता है।

(बी) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर में कार्यरत वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किया गया जो एक स्वतंत्र जन प्राधिकारी के रुप में कार्य करता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत कार्यालय प्रमुख के पद पर कार्यरत महालेखाकार को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नामित किया गया है।

अधिक जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए संपर्क करेः

सुश्री मीना बिष्ट, वरिष्ठ उप-महालेखाकार/प्रशासन- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत **केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी**

दूरभाष सं.-0141-238237 (कार्यालय)

पीबीएक्स सं.-0141-2385430-439

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) राजस्थान, जयपुर- आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत **प्रथम अपीलीय प्राधिकारी**

दूरभाष सं.- 0141-2385398 (कार्यालय),

पीबीएक्स सं.-0141-2385431-439